भारत सरकार

जनजातीय कार्य मंत्रालय

लोकसभा

अतारांकित प्रश्न संख्या- †1734

उत्तर देने की तारीख- 01/08/2024

जनजातीय समुदायों में स्कूल छोड़ने की समस्या

†1734. श्री के. ई. प्रकाश:

क्या जनजातीय कार्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या मंत्रालय ने जनजातीय समुदायों में स्कूल छोड़ने वालों को रोकने के लिए विशिष्ट हस्तक्षेप लागू किए है

(ख) यदि हां, तो ऐसे हस्तक्षेपों और कार्यान्वित किए गए कार्यक्रमों का ब्यौरा क्या है

(ग) क्या जनजातीय समुदायों के स्कूल छोड़ने वाले बच्चों को पुन: स्कूल प्रणाली में शामिल करने के लिए कोई विशिष्ट प्रयास या कार्यक्रम किए गए हैं;

(घ) यदि हां, तो ऐसे कार्यक्रमों का ब्यौरा और परिणाम क्या हैं; और

(ङ) पिछले तीन वर्षों के दौरान इन हस्तक्षेपों और कार्यक्रमों के लिए कुल कितनी धनराशि आवंटित और उपयोग की गई है?

उत्तर

जनजातीय कार्य राज्यमंत्री

(श्री दुर्गादास उइके)

(क) से (ङ): जनजातीय कार्य मंत्रालय (एमओटीए) वर्ष 2018-19 से जनजातीय बच्चों (कक्षा VI से XII तक) को उनके अपने परिवेश में गुणवत्तापूर्ण शिक्षा प्रदान करने के लिए एकलव्य मॉडल आवासीय विद्यालय (ईएमआरएस) की केंद्रीय क्षेत्र योजना को क्रियान्वित (लागू) कर रहा है। पहले ईएमआरएस संविधान के अनुच्छेद 275(1) के तहत एक घटक था। वर्ष 2013-14 के दौरान ईएमआरएस में छात्रों का नामांकन 34,365 था जो हर साल क्रमिक रुप से बढ़ा है और 2023-24 के दौरान नामांकन 1,23,841 हो गया ।

मंत्रालय/एनईएसटीएस ने जनजातीय समुदायों के स्कूल छोड़ने वाले बच्चों को स्कूल प्रणाली में वापस लाने के लिए प्रेरित करने हेतु कई प्रयास और कार्यक्रम शुरू किए हैं। यह सुनिश्चित करने के लिए स्कूल स्तर पर निरंतर प्रयास किए जाते हैं कि छात्रों को उनकी पढ़ाई जारी रखने के लिए प्रेरणा का स्तर बनाए रखा जाता है, जिसमें अच्छी गुणवत्ता वाला भोजन, नियमित परामर्श और कौशल विकास के रूप में अतिरिक्त सहायता शामिल है। प्रतेक वर्ष

मंत्रालय ईएमआरएस छात्रों के लिए सांस्कृतिक प्रतियोगिता और खेल प्रतियोगिता आयोजित करता है ताकि उन्हें अपनी प्रतिभा दिखाने के लिए राष्ट्रीय स्तर का एक्सपोज़र प्रदान करते हुए उन्हें पाठ्येतर गतिविधियों में प्रोत्साहित किया जा सके।

ईएमआरएस छात्रों को अपनी पढ़ाई जारी रखने के लिए प्रेरित करने हेतु मंत्रालय और एनईएसटीएस द्वारा की गई विभिन्न अन्य पहलें इस प्रकार हैं:-

• ईएमआरएस में स्मार्ट कक्षाओं की स्थापना

• ईएमआरएस छात्रों के लिए करियर परामर्श (काउंसलिंग) सत्र

• ज्ञान और जागरूकता मानचित्रण (मैपिंग) मंच (केएएमपी)-एनएएसटीए-2023 पहल की स्थापना ईएमआरएस में नामांकित छात्रों की विज्ञान क्षमताओं और प्रतिभाओं का मूल्यांकन करने और अभिस्वीकृति प्रदान करने के मूल लक्ष्य के साथ की गई थी।

• ईएमआरएस का शैक्षिक भ्रमण और साहित्यिक उत्सव

• ईएमआरएस छात्रों के लिए अमेज़न फ्यूचर इंजीनियर कार्यक्रम

• ईएमआरएस छात्रों का राष्ट्रपति भवन में विशेष दौरा

एमओटीए/एनईएसटीएस द्वारा की गई विभिन्न पहलों के परिणामस्वरूप, ईएमआरएस में छात्रों के नामांकन में हर साल उल्लेखनीय वृद्धि हुई है।

मंत्रालय एनईएसटीएस को निधियाँ जारी करता है और एनईएसटीएस राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों/सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों/निर्माण एजेंसियों/राज्य समितियों को उनकी आवश्यकताओं के अनुसार निधियाँ जारी करता है। पिछले तीन वर्षों में जनजातीय कार्य मंत्रालय द्वारा एनईएसटीएस को जारी की गई निधि निम्नानुसार है:

वित्तीय वर्ष	2023-24	2022-23	2021-22
एनईएसटीएस को जारी की गई निधि (करोड रु. में)	2447.61	1999.98	1057.74

इसके अतिरिक्त, शिक्षा मंत्रालय (एमओई), स्कूल शिक्षा और साक्षरता विभाग (डीओएसईएल) जवाहर नवोदय विद्यालय (जेएनवी) को कार्यान्वित कर रहा है, जो केंद्रीय विद्यालयों की एक प्रणाली है, जो केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड (सीबीएसई) से संबद्ध पूरी तरह से आवासीय और सह-शिक्षा विद्यालय हैं, जिनमें जनजातीय छात्रों सहित मुख्य रुप से भारत के ग्रामीण क्षेत्रों के प्रतिभाशाली छात्रों के लिए छठी से बारहवीं कक्षा तक की कक्षाएं हैं।

शिक्षा मंत्रालय वर्ष 2018-19 से प्रभावी "समग्र शिक्षा" योजना को भी क्रियान्वित (लागू) कर रहा है। स्कूली शिक्षा के सभी स्तरों पर लैंगिक और सामाजिक श्रेणी के अंतर को पाटना इस योजना के प्रमुख उद्देश्यों में से एक है। इस योजना की अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अल्पसंख्यक समुदायों से संबंधित लड़कियों और बच्चों और ट्रांसजेंडर तक पहुँच है। समग्र शिक्षा योजना का उद्देश्य स्कूली शिक्षा तक पहुँच को सार्वभौमिक बनाना; वंचित समूहों और कमज़ोर वर्गों के समावेशन के माध्यम से समानता को बढ़ावा देना और प्री-प्राइमरी से कक्षा 12वीं तक स्कूली शिक्षा के सभी स्तरों पर शिक्षा की गुणवत्ता में सुधार करना है। समग्र शिक्षा के तहत, कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय (केजीबीवी) का प्रावधान है, जो देश के शैक्षिक रूप से पिछड़े ब्लॉकों में आवासीय विद्यालय हैं, जहाँ कक्षा VI से XII तक की लड़कियाँ पढ़ती हैं, जिनकी आयु 10-18 वर्ष के बीच है और जो कि अजा, अजजा, ओबीसी, अल्पसंख्यक और गरीबी रेखा से नीचे (बीपीएल) जैसे वंचित समूहों से संबंधित हैं।

सरकार ने संशोधित समग्र शिक्षा योजना को पांच वर्षों की अवधि अर्थात 2021-22 से 2025-26 तक जारी रखने की मंजूरी दे दी है, जिसका कुल वित्तीय परिव्यय 2,94,283.04 करोड़ रुपये है, जिसमें 1,85,398.32 करोड़ रुपये का केंद्रीय हिस्सा शामिल है।

*****